उत्तराखण्ड शासन
संस्कृति, पर्यटन एवं खेलकूद अनुभाग–1
संख्या–/ 7 / VI / 2010–169(पर्य0) / 2002
देहरादूनः दिनांक 18 फरवरी,2011

शास्ति–आदेश

श्री अमरजीत सिंह भण्डारी, क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी (निलम्बित), पर्यटन निदेशालय, देहरादून के विरूद्ध निम्नलिखित आरोपों में अनुशासनिक कार्यवाही प्रस्तावित होने के कारण उनको पर्यटन विभाग, उत्तराखण्ड शासन के आदेश संख्या–365 / VI / 2008–169(पर्य0) / 2002, दिनांक 16 मार्च, 2009 द्वारा निलम्बित किया गया तथा आदेश संख्या–367 / VI / 2009–169(पर्य0) / 2002, दिनांक 16 मार्च, 2009 द्वारा आरोप पत्र जारी करते हुए आदेश संख्या–366 / VI / 2008–169(पर्य0) / 2002, दिनांक 16 मार्च, 2009 द्वारा श्री ए0के0 द्विवेदी, संयुक्त निदेशक, पर्यटन निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून को जांच अधिकारी नियुक्त किया गयाः–

(1) श्री अमरजीत सिंह भण्डारी जब क्षेत्रीय पर्यटन कार्यालय उत्तरकाशी में तैनात थे तो वे दिनांक 03 अगस्त, 2006 से 06 अगस्त, 2006 तक का आकस्मिक अवकाश का प्रार्थना पत्र क्षेत्रीय पर्यटन कार्यालय उत्तरकाशी में देकर अवकाश पर चले गये। उसके पश्चात वे बिना कोई अग्रेत्तर अवकाश स्वीकृत कराये तथा बिना कोई सूचना के अपनी ड्यूटी से लगातार अनुपस्थित रहे। पर्यटन निदेशालय के द्वारा उनके ज्ञात आवासीय पते पर नोटिस भेजे जाने / पत्राचार किये जाने के बावजूद भी वे न तो अपने कार्य / ड्यूटी पर उपस्थित हुए और न ही कोई प्रत्युतर दिया गया।

(2) श्री अमरजीत सिंह भण्डारी का पर्यटन निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून में ज्ञात पता 23 न्यू राजपुरा रोड, देहरादून था जिस पर अपचारी अधिकारी की अनुपस्थिति के बारे में निदेशालय द्वारा लगातार पत्राचार किया गया किन्तु अपचारी अधिकारी की ओर से कोई प्रत्युत्तर प्राप्त न होने पर निदेशालय द्वारा जब उक्त पते पर व्यक्तिगत रूप से सम्पर्क किया गया तो विदित हुआ कि अपचारी अधिकारी उक्त आवास / प्रोपर्टी का विक्रय करके कहीं अन्यत्र चले गये हैं। अपचारी अधिकारी द्वारा अपने नये आवास / पते के सम्बन्ध मे विभाग को कोई सूचना नहीं दी गयी। इस स्थिति में विभाग द्वारा दिनांक 16 जून, 2007 को दैनिक समाचार पत्र अमर उजाला में नोटिस प्रकाशित करते हुए अपचारी अधिकारी को अपनी ड्यूटी पर उपस्थित होने के निर्देश दिये गये किन्तु अपचारी अधिकारी द्वारा इसके बावजूद भी न तो ड्यूटी ज्वाइन की गयी और न ही कोई सूचना / प्रार्थना पत्र विभाग को दिया गया ।

2. जांच अधिकारी द्वारा प्रकरण की जांच रिपोर्ट अपने पत्र संख्या–624 / 2–2–का0(जांच) / 09, दिनांक 31 मार्च,2010 द्वारा शासन को प्रस्तुत की गयी। शासन के पत्र संख्या–802 / VI / 2010, दिनांक 02 जून,2010 द्वारा जांच रिपोर्ट की एक प्रति अपचारी अधिकारी को इस अपेक्षा के साथ प्रेषित की गयी कि यदि वे चाहे तो जांच अधिकारी द्वारा जांच रिपोर्ट में दिये गये निष्कर्षों के सम्बन्ध में अपना अभ्यावेदन शासन को पत्र प्राप्ति से 15 दिन के भीतर प्रस्तुत कर सकते हैं। इस क्रम में अपचारी अधिकारी की ओर से कोई अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया।

..2

3. **आरोप संख्या—1** की जांच आख्या में जांच अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि अपचारी अधिकारी द्वारा आरोप पत्र के उत्तर दिनांकित 14 मई,2009 के साथ दिनांक 06 अगस्त, 2006 से 09 नवम्बर, 2007 तक की अवधि के दौरान अस्वस्थता के कारण चिकित्साधीन होने का प्रमाण पत्र दिनांकित 2.5.2009, डा0 एस0सी0 गौड़, कन्सलटैंट आर्थोपैडिक्स, इलाहाबाद द्वारा दिया गया तथा 10 नवम्बर, 2007 से 22 मार्च, 2009 तक की अवधि के दौरान अस्वस्थता के कारण चिकित्साधीन होने का प्रमाण पत्र दिनांकित 21.7.2009, डॉ0 विभूति जी0एम0 मोदी हास्पिटल एण्ड रिसर्च सैन्टर फॉर मेडिकल साईंस, नई दिल्ली द्वारा दिया गया, प्रस्तुत करते हुए यह बताया गया है कि उक्त अवधि के दौरान वे बीमार थे और बीमारी की गम्भीरता व तनाव के कारण वे अपनी ड्यूटी से अनुपस्थिति के सम्बन्ध मे विभाग को न तो कोई सूचना दे पाये और न ही अवकाश आदि का प्रार्थना पत्र दे सके।

जांच अधिकारी द्वारा डा0 एस0सी0 गौड़, कन्सलटैंट आर्थोपैडिक्स, इलाहाबाद द्वारा दिये गये प्रमाण पत्र की पुष्टि कराये जाने पर अपर निदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण इलाहाबाद मण्डल द्वारा उक्त प्रमाण पत्र को प्राधिकृत चिकित्सक द्वारा जारी किया गया बताया गया है। यद्यपि डॉ0 विभूति, जी0एम0 मोदी हास्पिटल एण्ड रिसर्च सैन्टर फॉर मेडिकल साईंस, नई दिल्ली द्वारा दिये गये प्रमाण पत्र की पुष्टि कराये जाने पर यह पाया गया कि यह प्रमाण सम्बन्धित अस्पताल की निर्धारित प्रकियानुसार जारी नहीं हुआ है । अपितु डॉ0 विभूति द्वारा व्यक्तिगत रूप से दिया गया है जो कि अवैध है ।

यह भी पाया गया है कि दिनांक 06 अगस्त, 2006 से 09 नवम्बर, 2007 तक की अवधि का चिकित्सा प्रमाण पत्र अप्रत्याशित बिलम्ब से दिनांक 2.5.2009 को जारी दर्शित है तथा दिनांक 10 नवम्बर, 2007 से 22 मार्च, 2009 तक की अवधि के दौरान अस्वस्थता का प्रमाण पत्र भी बिलम्ब से दिनांक 21.7.2009 को जारी दर्शित है जबकि चिकित्सा पूरी होने व कार्मिक को ड्यूटी हेतु फिट होने पर चिकित्सक द्वारा प्रमाण पत्र तत्काल जारी किये जाते हैं। इन प्रमाण पत्रों में यह गम्भीर विरोधाभास भी पाया गया है कि जहां इलाहाबाद में कराये गये ईलाज में कार्मिक को दिनांक 10 नवम्बर, 2007 से ड्यूटी हेतु फिट घोषित किया गया है वहीं दूसरी ओर डॉ0 विभूति द्वारा दिनांक 10 नवम्बर, 2007 से 22 मार्च, 2009 तक उनके चिकित्साधीन होने का प्रमाण पत्र दिया गया है। फिट घोषित होने के बावजूद भी उक्त अधिकारी अपनी ड्यूटी पर नही आय और न हीं विभाग को कोई सूचना दी गयी। उक्त तथ्यों के आलोक में जॉच अधिकारी का यह मत है कि सम्बन्धित कार्मिक द्वारा उच्चाधिकारियों को गुमराह करने के लिए झूठे प्रमाण पत्र बनवाये गये होंगे। विस्तृत विश्लेषण के आधार पर जांच अधिकारी द्वारा श्री भण्डारी के विरूद्ध लगाये गये आरोप संख्या—1 को पूर्णतः सिद्ध होना पाया गया है।

4. **आरोप संख्या—2** की जांच में पाया गया है कि अपचारी अधिकारी द्वारा आरोप पत्र के उत्तर दिनांकित 14 मई,2009 में उक्त आरोप को स्वीकार करते हुए यह कहा गया है कि शारीरिक तथा मानसिक परेशानियों की अधिकता के कारण वे अपने नये निवास तथा पत्र व्यवहार का पता अपने विभाग को नहीं उपलब्ध करा सके थे। इस प्रकार यह आरोप भी पूर्णतः सिद्ध पाया गया है।

5. जांच आख्या में वर्णित निष्कर्षों व उपरोक्त विवेचना के अनुसार विषयगत विभागीय

..3

कार्यवाही में अपचारी कार्मिक पर लगाये गये आरोपों के पूर्णतः सिद्ध पाये जाने की स्थिति पर सम्यक रूप से विचार करने के उपरान्त श्री राज्यपाल, श्री अमरजीत सिंह भण्डारी, क्षेत्रीय पर्यटन विकास अधिकारी (निलम्बित) को उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील नियमावली, 2003 के नियम–3 (ख) (तीन) में प्राविधानित निम्न शास्ति दिये जाने के आदेश देते हैं:–

"सेवा से हटाना जो भविष्य में नियोजन से निरर्हित नहीं करता हो,"

6. उपरोक्तानुसार दण्डादेश पारण के सम्बन्ध में लोक सेवा आयोग, उत्तराखण्ड हरिद्वार के पत्र संख्या–2045/ए0डी0सी0/सेवा–2/2010–11 दिनांक 04 जनवरी, 2011 द्वारा परामर्श/सहमति प्रदान की गयी है।

राकेश शर्मा
प्रमुख सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तराखण्ड, हरिद्वार को उनके पत्र संख्या–2045/ए0डी0सी0/सेवा–2/2010–11, दिनांक 04 जनवरी, 2011 के संदर्भ में।
2. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून ।
3. निदेशक, पर्यटन निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून ।
4. निदेशक, कोषागार, पेंशन एवं वित्त सेवाएं, उत्तराखण्ड, देहरादून ।
5. प्रभारी अधिकारी, एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड सचिवालय, देहरादून को इंटरनेट पर प्रसारण हेतु ।

सम्बन्धित कार्मिक/व्यक्ति द्वारा–निदेशक, पर्यटन निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून

7. गार्ड फाईल ।

आज्ञा से,

(श्याम सिंह)
अनुसचिव।